

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, सीवान के ज्ञापिकांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 04 श्रमिकों के आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 400000/- (चार लाख रूपए) एवं 03 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 90000/- (नब्बे हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 490000/- (चार लाख नब्बे हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, पिता/पति का नाम	आश्रित का नाम(संबंध)/दावेदार	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का खीरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० फूल मुहम्मद, 62, मो० इस्माईल मियां, अ० पि० वर्ग	श्रीमती महलुदन बीबी(पत्नी)	412/13.09. 2019	ग्रा०-पड़रिया, पो०-सरसर, था०-मु० सिवान, प्र०-सिवान सदर, सिवान	3573975 4653	भारतीय स्टेट बैंक, SBIN0009212	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
2	स्व० श्याम जी महतो, 31, श्री परम महतो, अ० पि० वर्ग	श्रीमती लक्ष्मीनिया देवी(पत्नी)	414/13.09. 2019	ग्रा०-पड़रिया, पो०-सरसर, था०-मु० सिवान, प्र०-सिवान सदर, सिवान	3553253 5501	भारतीय स्टेट बैंक, SBIN0000187	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
3	स्व० रामाशीष पाण्डेय, 62, श्री तुलसी पाण्डेय, सामान्य	श्रीमती ज्ञांती देवी (पत्नी)	416/13.09. 2019	ग्रा०-ताहिरा, पो०-सरसर, था०-मु० सिवान, प्र०-सिवान सदर, सिवान	1006551 0300562 68	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, CBINOR10001	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
4	स्व० मनीष कुमार, 52, अनु० जाति	श्री महावीर प्रसाद(पिता)	418/13.09. 2019	ग्रा०-बरपलिया, पो०-बलुआ, था०+प्र०-गुठनी, सिवान	1365101 088439	केनरा बैंक, CNRB0001365	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, भवन निर्माण में हेलपर का कार्य
5	स्व० छटु चौहान, 55, श्री भृगुराशन चौहान, पि० वर्ग	श्रीमती सुनैना देवी(पत्नी)	420/13.09. 2019	ग्रा०-पचनेरूआ, पो०-चकरी, था०+प्र०-गुठनी, सिवान	1006401 0100026 79	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, CBINOR10001	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, राजमिस्त्री का कार्य
6	स्व० विजय कुमार सिंह, 34, श्री रामाकांत सिंह, सामान्य	श्रीमती सरिता देवी(पत्नी)	422/13.09. 2019	ग्रा०-शिवराजपुर, पो०-मुस्तफाबाद, था०+प्र०-गोरैयाकोठी, सिवान	3548515 483	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBIN0281778	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, बिल्डिंग मिस्त्री
7	स्व० नागेन्द्र चौधरी, 45, श्री ब्रह्मदेव चौधरी, पि० वर्ग	श्रीमती ज्ञांती देवी(पत्नी)	424/13.09. 2019	ग्रा०-सुजाव टोला मुशहरी, पो०-पचलखी, था०-नौतन, प्र०-सिवान सदर, सिवान	3683970 694	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBIN0283607	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, राजमिस्त्री

कुल :- ₹ 490000/-

(चार लाख नब्बे हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-19/2019 के पृष्ठ-7/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/

(राम रूप प्रसाद)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-19/2019

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/

(राम रूप प्रसाद)


कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-19/2019-418

पटना, दिनांक :- 27-11-19

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 490000/- (चार लाख नब्बे हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, सीवान को सूचनार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।



(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी



(राम रूप प्रसाद)

कार्यकारी निदेशक।